३ भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ

इस पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। भारत के सम्मुख अलगाववादी (पृथक्कतावादी) आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियाँ हैं।

पंजाब में असंतोष : पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष १९७३ में 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दें, अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दें; जैसी अनेक बातों की माँग की गई थी। वर्ष १९७७ में अकाली दल इस पक्ष ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी माँगों के साथ नदी के जल बँटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए तथा अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए जैसी माँगें रखीं।

वर्ष १९८० में पंजाब में 'स्वतंत्र खलिस्तान' आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खलिस्तानवादी जर्नेल सिंह भिंडराँवाले के आस-पास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठे होने लगे। इसी अवधि में आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारंभ हुईं। वर्ष १९८१ में संपादक लाला जगतनारायण की हत्या के आरोप में भिंडराँवाले को बंदी बनाया गया। इसके बाद स्थितियाँ बिगड़ती चली गईं। परिणाम स्वरूप वर्ष १९८३ में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भिंडराँवाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया। भिंडराँवाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणामस्वरूप पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई।

ऑपरेशन ब्लू स्टार : स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना मुख्य कार्य था। यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। ३ जून १९८४ को सुबह 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' अभियान प्रारंभ हुआ और ६ जून को समाप्त हुआ। इस सैनिकी कार्यवाही में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडराँवाले के साथ-साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद वर्ष १९८६ में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी। इसे 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर' कहते हैं। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली।

क्या आप जानते हैं?

विशिष्ट उद्देश्य को लेकर की गई सैनिकी कार्यवाही को ऑपरेशन कहते हैं। स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए दहशतवादियों को बाहर निकालने के लिए जो सैनिकी कार्यवाही की गई, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं।

पूर्वोत्तर भारत की समस्या

पूर्वोत्तर भारत आठ राज्यों का समूह है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इन आठ राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इन आठ राज्यों को न्यूनाधिक रूप में अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के कार्य की प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने पहल की। उन्होंने वर्ष १९५४ में नेफा (नॉर्थ ईस्ट, फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल) नामक क्षेत्र का गठन किया। यह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। पं. नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। संविधान की छठी अनुसूची

में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष १९६५ में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए वर्ष १९७१ में 'पूर्वोत्तर परिषद कानून' बनाया गया। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतरराज्यीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे।

मिजोरम : पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजोबहुल लुशाई टीलोंवाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष १९५४ में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की माँग करना प्रारंभ किया। वर्ष १९५९ में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लालडेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया।

वर्ष १९६१ में लालडेंगा ने 'मिजो नैशनल फ्रंट' **(MNF)** संगठन की स्थापना की। लालडेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई टीलों के मिजोबहुल प्रांतों के लिए 'ग्रेटर मिजोरम' अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की माँग की। मार्च १९६६ में मिझो नैशनल फ्रंट ने 'स्वतंत्र मिजोरम' राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। वर्ष १९७२ में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजोबहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष १९८५ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। लालडेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने।

नागालैंड : नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। पूर्व हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यानमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती थी। वर्ष १९४६ में कुछ पढ़े-लिखे नागा युवाओं ने 'नागा नैशनल कौंसिल' **(NNC)** नामक संगठन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने 'नागालैंड' की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माँग की। उन युवाओं का नेतृत्व अंगामी जापू फिजो कर रहे थे। वर्ष १९५४ में 'एनएनसी' ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। वर्ष १९५५ में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों में हुईं मुठभेड़ों को दबाने के लिए सैनिकी कार्यवाही की गई।

केंद्र सरकार और 'एनएनसी' के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागाबहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। नेफा के नागाबहुल क्षेत्र और सुएनसांग क्षेत्र को इकट्ठे कर १ दिसंबर १९६३ को 'नागालैंड' राज्य अस्तित्व में आया।

असम : वर्ष १९८३ में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरितों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंटस यूनियन और असम गणसंग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। वर्ष १९८५ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण और असम नेता प्रफुल्लकुमार महंतो के बीच समझौता हुआ और असम के घुसपैठिए बांगलादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से भेजना निश्चित हुआ। वर्ष १९८६ में असम विधान सभा के चुनाव हुए और असम गणपरिषद के प्रफुल्लकुमार महंतो मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई।

अरुणाचल प्रदेश : वर्ष १९५४ में नेफा क्षेत्र की निर्मिति हुई। वर्ष १९७२ में इस अरुणाचल प्रदेश (उगते सूर्य का प्रदेश) कहा जाने लगा। २० फरवरी १९८७ को इसे स्वतंत्र संघराज्य का दर्जा दिया गया।

वर्ष १९६० से २००० की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गईं विशेष योजनाओं, औद्योगिकीकरण

और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है।

नक्सलवाद

नक्सलवादी आंदोलन : यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलवादियों ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और वर्ष १९६७ में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषिक्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोपकर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए, उन्हें 'नक्सलवादी' आंदोलन कहते हैं।

जमींदारों द्‌वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े जमींदारों की जमीनों को छीन लेना, उनका अलग-अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्‌देश्य थे। आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्‌देश्यों से दूर चला गया। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुँचे; इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया।

नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्‌टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, अदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगाव, सुकमा, महाराष्ट्र में गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपुर के कुछ प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, ओडिशा के कोरापुर में फैला। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र 'पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी' (PLGA) नामक संगठन की स्थापना की। यह संघर्ष अब भी जारी है।

संप्रदायवाद

संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। संकीर्ण धार्मिक दुरभिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने-अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लाँघ जाता है तब उसका रूपांतरण दुरभिमान अथवा कट्‌टरता में हो जाता है। परिणामतः धर्मांधता उत्पन्न होती है।

धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। अलग-अलग धर्म के लोगों का एक-दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देशबंधु हैं; उन्हें शत्रु समझा जाता है। एक-दूसरे के तीज-त्योहारों, पर्वों, उत्सवों के अवसरों पर इकट्‌ठे आना भी कम होने लगता है। धर्मांधता के कारण अपने आस-पास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है।

कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं। अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमपर निरंतर अन्याय हो रहा है। सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है। यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती है। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अथवा धार्मिक प्रतीकों का जाने-अनजाने कोई अवमानना कर दे तो इसकी परिणति दंगे-फसाद में हो जाती है। सैंकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है। सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है।

व्यक्ति-व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ-साथ जीने का आधार होता है। यदि

यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता को कैसे साधेंगे? हम सभी को इस धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुलमिल जाना चाहिए। एक-दूसरे के पर्वों-त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। धार्मिक सौहार्दता क्यों नष्ट होती है? इसके लिए कौन-से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण हैं; इनकी हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मकता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है।

प्रदेशवाद

अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही 'प्रदेशवाद' कहलाता है। जैसे-मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ; इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रांताभिमान हो जाता है। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुरभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है।

विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जैसे - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ परंतु ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव हैं। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है, वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साध सकते हैं। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है, वे राज्य शैक्षिक एवं नागरी सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं; जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इससे अलग-अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत हैं क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है।

हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्त्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्याएँ, दरिद्रता, मकान और दो समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएँ हैं। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

7FS4EQ

स्वाध्याय

१. प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए।

(१) अकाली दल ने 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' में क्या माँगें कीं?

(२) संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए?

(३) प्रदेशवाद कब प्रबल बनता है?

२. टिप्पणी लिखिए।

(१) संप्रदायवाद (२) प्रदेशवाद

३. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए।

(१) 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' करना पड़ा।

(२) संप्रदायवाद का पूरी शक्ति से विरोध करना आवश्यक है।

४. निम्न संक्षिप्त रूपों के पूर्ण रूप लिखिए।

(१) MNF (२) NNC (३) PLGA

उपक्रम

(१) संघ राज्य/संघ शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों की तालिका बनाइए। मानचित्र आड़ाखड़ा, में उनका अंकन कीजिए ।

(२) अंतरजाल की सहायता से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए।